

8-11-19

नवीन उभयपक्ष उपर्युक्त राज पैरोकार उपर्युक्त
 पत्रावले पेश किया गया शामिल पत्रावली
 किया गया। प्रकार के पत्राकारण के प्रत्यक्ष
 राजीनामा होने से वादस सुनी गई वादस
 पर मगन किया गया पत्रावली का अवलोकन
 किया गया वाद अवलोकन वाद वादी
 शर्तिकाएँ किया जाकर विस्तृत विवेचन सूचक
 से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
 सुनाने के उपरान्त शामिल पत्रावली
 किया गया। निम्नानुसार 2-2-2019 पेश होने
 पर डिक्री जारी है। पत्रावली नक्कर से
 कर की जाकर वाद तत्काल दारिद्र्य
 दफ्तर है।

(कपिल यादव)

सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

18-11-19

नवीन वादी द्वारा विवेचन दिनांक 8-11-19 की पत्रावली
 में डिक्री जारी करने के वाकत दृष्टस्य पेश किया जो
 शामिल किया जाकर डिक्री जारी कर शामिल
 किया।

न्यायालय उपखण्ड

पीठासीन अधिकारी :- व

राजस्थान वाद संख्या :- 3

1 मनप्रीतसिंह पुत्र
हनुमानगढ़।

1 अमर सिंह पुत्र
हनुमानगढ़।

2 गुरप्रित सिंह पु
हनुमानगढ़।

3 इलाहाबाद बैंक

4 राजस्थान सरव

दावा अन्तर्गत

1. श्री सुरेन्द्र सि

2. श्री अमरिकसि

3. राज पैरोकार

वादी द्वारा प्र

ए. के तहत इस न्य

पिता प्रतिवादी संख

3/114 में 8.981

जमाबंदी वाके चक

है।

अर्जीदावा र

जो उनके फौत ह

क्योकि उक्त भूमि

प्रतिवादीगण संख

परिवार विभक्त हो

लिया है मुता

सो डबल्यू. खाता

मैरमुमकिन में से

रिकार्ड में अभी त

खातेदारी अधिका

का अधिकारी है

3/114 में प्रतिव

मय गैर मुमकिन



र
कारी

(राजस्व वाद संख्या :- 350/2019 अनवान मनप्रीतसिंह बनाम अजमेरसिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 350/2019

- 1 मनप्रीतसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। -- वादी

--:: बनाम ::--

- 1 अमर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गुरप्रित सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 इलाहाबाद बैंक हनुमानगढ़ टाउन।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 4

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- ०४-11-2019

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 अजमेर सिंह के नाम वाके चक 16 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 3/114 मे 8.981 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 16 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 3/114 सम्वत 2075-78 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 3 मे वर्णित भूमि मुझ वादी के दादा स्व. लाल सिंह को भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई। क्योंकि उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को भी बर्थ राईट हासिल है। चूंकि अब उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तो मुझ वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने आपस मे घरू बंटवारा लिया है मुताबिक घरू बंटवारा मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को वाके चक 16 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 3/114 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.981 हैक्टर मय गैरमुमकिन मे से 3.981 हैक्टर मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर भूमि प्राप्त हुई परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अभी तक भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को वाके चक 16 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 3/114 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.981 हैक्टर मय गैरमुमकिन मे से 3.921 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

लगातार 2



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मुझ वादी को घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि तक संयुक्त खाता मे दर्ज होने के कारण वादी का सहकाशकारान के साथ आपस मे सीव बट रकम राज आदि का विवाद रहता है। अतः वादी मुताबिक कब्जा काशत अपना खाता तकसीम करवाना चाहता है।

वादी मनप्रीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 गुरप्रीत सिंह का कब्जा काशत चक 16 एस. एस. डबल्यू. खाता संख्या 3/114 पत्थर नम्बर 127/300 मुरवा नम्बर 76 किला नम्बर 2/1/.189 हैक्टर, 3 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/1/.190 हैक्टर कुल 3.921 हैक्टर मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर मुताबिक कब्जा काशत अपना खाता तकसीम करवा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने व रकम राज कायम करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादी के हिस्सा की घोषणा व घरू बंटवारा अनुसार खाता तकसीम करवाने हेतु कहा पहले तो वे टाल मटोल करते रहे परन्तु 10 रोज पूर्व मुकाम हनुमानगढ मे साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखासमत है। प्रतिवादी संख्या 3 के यहां भूमि रहन होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 4 को लैण्ड होल्डर होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे :-

- (क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को वाके चक 16 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 3/114 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.981 हैक्टर मय गैरमुमकिन मे से 3.921 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काशतकार है।
- (ख) वाद की मद संख्या 4 मे वर्णित घरू बंटवारा मुताबिक खाता तकसीम कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का आदेश फरमाया जावे।
- (ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 18.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जांनें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 अजमेर सिंह के नाम वाके चक 16 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 3/114 मे 8.981 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. लाल सिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई। क्योकि उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को भी बर्थ राईट हासिल है। चूंकि अब उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तो वादी प्रतिवादी संख्या

1 ता 2 ने आपस में घरू बंटवारा कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को वाके चक 16 एस.एस.डबल्यू खाता संख्या 3/114 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.981 हैक्टर मय गैरमुमकिन में से 3.921 हैक्टर मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर भूमि प्राप्त हुई। मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को वाके चक 16 एस.एस.डबल्यू खाता संख्या 3/114 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.981 हैक्टर मय गैरमुमकिन में से 3.921 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी मनप्रीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 गुरप्रीत सिंह के कब्जा काश्त की भूमि चक 16 एस.एस.डबल्यू खाता संख्या 3/114 पत्थर नम्बर 127/300 मुरब्बा नम्बर 76 किला नम्बर 2/1/.189 हैक्टर, 3 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/1/.190 हैक्टर कुल 3.921 हैक्टर मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने से प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरान बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38-39-40-53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221-22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी में आती है।

जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 अजमेरसिंह के नाम चक नम्बर 16 एस.एस.डबल्यू. की 8.981 हैक्टर, भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जददी जायदाद स्वीकार होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, का पैतृक भूमि में हक हिस्सा होने से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।


—:: आदेश ::—

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 16 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 3/114 में प्रतिवादी संख्या 1 की के नाम 8.981 हैक्टर भूमि में से वादी मनप्रीतसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 गुरप्रीतसिंह पुत्रान अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ को पत्थर नम्बर 127/300 मुरब्बा नम्बर 76 किला नम्बर 2/1/.189 हैक्टर, 3 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/1/.190 हैक्टर कुल 3.921 हैक्टर मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 08-11-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल यादव)

उपस्थित अधिकारी एवम्
पदेय सहायक क्लर्क
हनुमानगढ़

मूल वाद में डिग्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ला दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 350/2019

- 1 मनप्रीतसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। -- वादी

-- वनाम :-

- 1 अमर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गुरप्रित सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 इलाहाबाद बैंक हनुमानगढ़ टाउन।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन


निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अमरिसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 18-11-19 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर खित्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 3/114 मे प्रतिवादी संख्या 1 की के नाम 8.981 हैक्टर भूमि में से वादी मनप्रीतसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 गुरप्रीतसिंह पुत्रान अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ को पत्थर नम्बर 127/300 मुर्ब्बा नम्बर 76 किला नम्बर 2/1/.189 हैक्टर, 3 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/1/.190 हैक्टर कुल 3.921 हैक्टर मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह खित्री आज दिनांक 18-11-19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई मुहर





(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

-- वाद के खर्चे --

Scanned by CamScanner

